भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

अभिलेख सं0-टी0 ए0 मिस वाद सं0- 70A/2019-20

केस का प्रकार-(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)a)

धनुराम टुडू ....आवेदक/विक्रेता

बनाम

छुटाय सोरेन.................................क्रेता

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति

13-06-2020

विक्रेता :- धनुराम टुडू पिता स्व0 करन टुडू (माझी), ग्राम-मुरुमडीह, थाना-राजनगर, सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-संथाल।

क्रेता :- छुटाय सोरेन पिता स्व0 डिबा सोरेन, ग्राम-मातकुमबेड़ा, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड), जाति-संथाल।

विक्रेता द्वारा दिनांक 28.09.2019 को आवेदन देकर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा-46(i)a के तहत क्रेता छुटाय सोरेन पिता स्व0 डिबा सोरेन, ग्राम-मातकुमबेड़ा, थाना-राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ (झारखण्ड) को निम्नलिखित भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति माँगी गयी है :-

:: भूमि का विवरण ::

मौजा	थाना /थाना नं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
मुरुमडीह	राजनगर/150	79	812/अं0	0.08.5 ए0
			813/अं0	0.06.0 ए0
			कुल-	**0.14.5 ए0**

उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, राजनगर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई। साथ ही साथ सर्वसाधारण को जानकारी हेतु आम ईस्तेहार निर्गत किया गया।

अंचल अधिकारी, राजनगर का पत्रांक 246 दिनांक 06.03.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है(अभिलेख के साथ संलग्न)। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि :-

1. प्रस्तावित भूमि बिक्रेता के पिता के नाम से खतियान एवं पंजी-II में दर्ज है।
2. बिक्रेता अपने पिता के के मृत्यु पश्चात् अपने हिस्से की आंशिक भूमि को बिक्री करना चाहता है।
3. प्रस्तावित भूमि बिक्री करने के पश्चात् बिक्रेता के पास रकवा-9.27 एकड़ भूमि शेष बचेगा।
4. बिक्रेता पारिवारिक खर्च हेतु प्रस्तावित भूमि बिक्री करना चाहते है।
5. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों एक ही थाना एवं जाति-'संथाल' है, जो अनुसूचित जनजाति के अन्तर्गत आते है।

लगातार......................2

Scanned with CamScanner

उपरोक्त प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, राजनगर ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत आवेदक को प्रस्तावित भूमि बिक्री करने की अनुमति देने की अनुशंसा किया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2019 को निर्गत आम सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। आज तक किसी ने कोई आपत्ति दायर नहीं की है।

अतः अंचल अधिकारी, राजनगर के अनुशंसा के आलोक में बिक्रेता धनुराम टुडू पिता स्व0 करन टुडू (माझी), ग्राम–मुरुमडीह, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला– खरसावाँ (झारखण्ड) को क्रेता छुटाय सोरेन पिता स्व0 डिबा सोरेन, ग्राम–मातकुमबेड़ा, थाना–राजनगर, जिला–सरायकेला–खरसावाँ (झारखण्ड) को उभय पक्ष के निजी दायित्व पर ऊपर वर्णित रकवा–0.14.5 एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46(i)a के तहत दी जाती है तथा आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित भूमि की बिक्री सरकार द्वारा निर्धारित दर से कम में नहीं करेंगे।

लेखापित,

13/06/2020

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।

Scanned with CamScanner